IV 234

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

Rs. 500

NON JUDICIAL

Kr. Mohd. AKRAM KHAN
ADVOCATE
MEERUT

IV 234

ATTESTED
91

MEERUT

ट्रस्ट–डीड

स्टाम्प शुल्क – 800/– रूपये

हम कि मनोज कुमार पुत्र श्री धर्मपाल सिंह निवासी म0नं0–81–ए, ज्वाला नगर, मेरठ व श्री जसवन्त सिंह पुत्र श्री धर्मपाल सिंह निवासी म0नं0–307/9, अजन्ता कालोनी, गढ़ रोड, मेरठ के हैं जिन्हें आगे व्यवस्थापक कहा गया है। व्यवस्थापकों की इच्छा समाज सेवा व शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की है जिसके लिये व्यवस्थापकों ने यह ट्रस्ट स्थापित करने का निश्चय किया है।

विदित हो कि व्यवस्थापक धनराशि अंकन 10,000/– रूपये के एकमात्र स्वामी व अधिकारी हैं तथा शिक्षा के लिये कार्य व अन्य कार्य जिनका विवरण आगे दिया गया है के लिये एक ट्रस्ट की स्थापना करना चाहते है और उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यवस्थापकों ने उक्त राशि अंकन 10,000/– रूपये को इस उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यवस्थापकों ने उक्त राशि अंकन 10,000/– रूपये को इस उद्देश्य से हस्तान्तरित कर दी है और दे दी है कि न्यासीगण उक्त

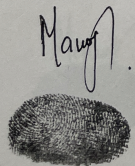

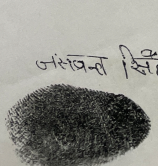

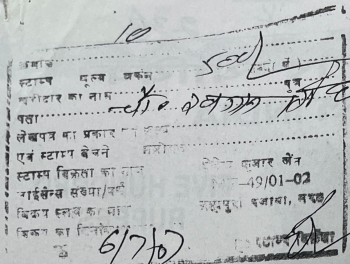

10

क्रमांक .... 500 ....

स्टाम्प मूल्य अंकन ....

खरीदार का नाम .... पुत्र ....

पता ....

लेखपत्र का प्रकार ....

एवं स्टाम्प बेचने

स्टाम्प विक्रेता का नाम .... [illegible] कुमार जैन

लाईसेन्स संख्या/वर्ष MP–49/01–02

विक्रय स्थान का नाम .... [illegible] बजाजा, [illegible]

विक्रय का दिनांक 6/7/07

स्टाम्प विक्रेता

सत्यमेव जयते

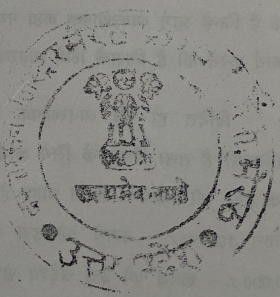

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

H 706678

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

OFFICE OF THE CHIEF TREASURY OFFICER
- 5 JUL 2007

राशि को आगे दी गयी शक्तियों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत बतौर न्यासीगण रखेंगे। उक्त व्यवस्थापकों ने उक्त ट्रस्ट के प्रथम न्यासीगण होना स्वीकार किया है और इस विलेख का निष्पादन कर रहे हैं। अतः व्यवस्थापक उपरोक्त इकरार करते हैं और घोषणा करते हैं कि :–

1. यह कि उक्त ट्रस्ट का नाम **चौ0 खजान सिंह एजुकेशनल ट्रस्ट** (CH. KHAJAN SINGH EDUCATIONAL TRUST) होगा।

2. यह कि उक्त ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय 307/9, अजन्ता कालोनी, गढ़ रोड, मेरठ शहर होगा परन्तु न्यासीगण को अधिकार होगा कि वो उक्त ट्रस्ट का कार्यालय कहीं पर भी सहमति से स्थानान्तरित कर सकते है।

3. यह कि ट्रस्टीगण उक्त राशि अंकन 10,000/– रूपये ~~[illegible]~~ जिसे आगे ट्रस्ट फण्ड कहा गया है व भविष्य मे ट्रस्ट की सम्पत्ति, नकद राशि, निवेश, धन दान अथवा अनुदान से प्राप्त सम्पत्ति साविध जमा अथवा चालू राशि जो उक्त ट्रस्टीगण को समय–समय पर प्राप्त हो, को धारण करेंगे तथा उक्त ट्रस्ट की चल व अचल

Manoj

जसवन्त सिंह

11 — 10

क्रमांक 100
स्टाम्प मूल्य अंकन .... रु०
खरीदार का नाम ....
पता ....
लेखपत्र का प्रकार एवं उद्देश्य ....
स्टाम्प बेचने का प्रयोजन ....
स्टाम्प विक्रेता का नाम
लाइसेंस संख्या/वर्ष

MT-49/01-02

6/7/07

स्टाम्प विक्रेता

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 706679

सम्पत्ति को बतौर ट्रस्टीगण आगे दी गयी शक्तियों तथा कर्तव्यों को प्रयोग व अनुपालन करते हुये धारण करेंगे।

4. यह है कि ट्रस्टीगण फण्ड तथा ट्रस्ट जिनकी पूँजी तथा अन्य चल व अचल सम्पत्तियों को शिक्षा संवर्धन के मुख्य कार्य तथा अन्य सामाजिक उत्थान के कार्य, औषधालय तथा शिक्षण संस्थाओं व कार्यशालाओं की स्थापना एवं संचालन व व्यवस्था यात्री सेवा व सुविधा आदि के कार्य करने हेतु धारण करेंगे तथा न्यासीगण को समय–समय पर आवश्यकतानुसार न्यास के उद्देश्यों में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

5. यह कि ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये न्यासीगण को समय–समय पर भूमि का ग्रहण, अधिग्रहण सरकारी, गैरसरकारी संस्थाओं, व्यक्तियों, संस्थाओं या विभागों से करने का पूर्ण अधिकार होगा।

6. यह कि उपरोक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त तथा उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ट्रस्टीगण ट्रस्ट के फण्ड तथा आय को तथा उसके समस्त या किसी भाग को नीचे दिये

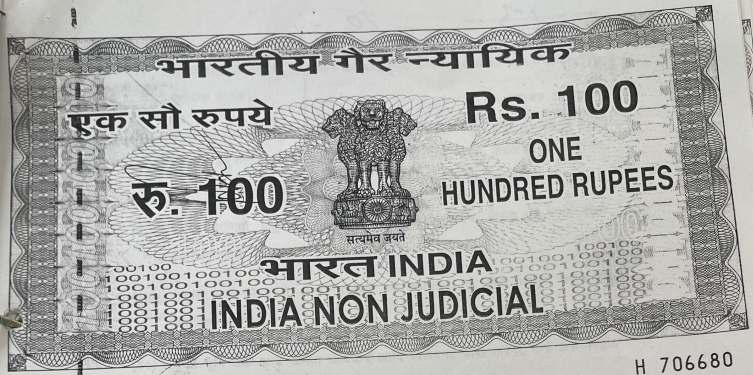

H 706680

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

गये उद्देश्यों में से किसी एक या अनेक या समस्त और जितनी मात्रा में चाहे स्वांगीण रूप से प्रयोग कर सकते है।

(1) मेडिकल कॉलिज, डेन्टल कॉलिज एवं अस्पताल की स्थापना व संचालन करना।

(2) इंजीनियरिंग कॉलिज की स्थापना व संचालन करना।

(3) स्कूल, कालिज, तकनीकी व फार्मा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना।

(4) शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु सभी प्रयास करना।

(5) शैक्षिक किताबों, पेपर का प्रकाशन कराना, लाईब्रेरी, रीडिंग रूम तथा होस्टल आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

(6) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा समाज के सभी वर्गों के जरूरतमंद छात्रों के लिये छात्रवृति, सहायता आदि प्रदान करना।

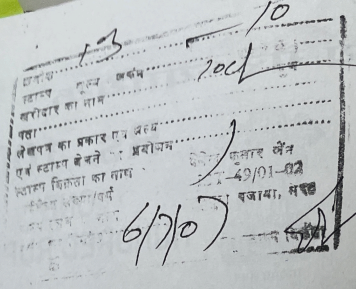

13 10

दिनांक ....

स्टाम्प मूल्य अंकन 200

खरीदार का नाम ....

पता ....

लेखपत्र का प्रकार एवं उद्देश्य ....

एवं स्टाम्प बेचने का प्रयोजन

स्टाम्प विक्रेता का नाम

कुमार जैन

-49/01-02

बजाया, मेरठ

6/7/07

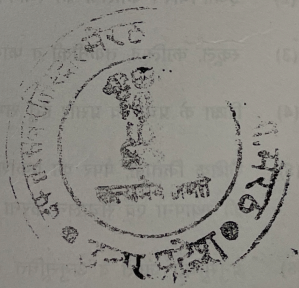

(7) अस्पताल, औषद्यालय, अनुसंधान शालाओं एवं रसायन शालाओं का संचालन एवं स्थापना करना।

(8) प्राकृतिक पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने हेतु कार्य करना। शहरों में पेड़ लगाना, जिससे प्रदुषण कम हो। खाली पड़ी भूमि पर वृक्षा रोपण करना ताकि पर्यवरण स्वच्छ रहे और आय के साधन बढ़े ओर अवैध कब्जे भी न हो पाये।

(9) निरीह प्राणियों, पशु एवं पक्षियों की चिकित्सा का प्रबन्ध करना एवं उनके लिये चिकित्सालयों की स्थापना व व्यवस्था करना।

(10) स्कूल व कॉलिज में छात्र/छात्राओं को पर्यावरण के लिये जागृत करने हेतु कार्यक्रम चलाना।

(11) कृषि भूमि तथा अन्य जमीन जायदाद आदि खरीदना, प्राप्त करना, उन्हें क्रय–विक्रय करना, हस्तान्तरण करना तथा कृषि भूमि पर कृषि कार्य कराना।

(12) समस्त मानव मात्र के कल्याण के लिये कार्य करना।

(13) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भवन निर्माण करना तथा अन्य निर्माण कार्य आदि करना।

(14) ट्रस्ट की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सभी प्रकार के कार्य व प्रयत्न करना।

(15) वह सभी कार्य करना जो समस्त मानव जाति के लिये कल्याणकारी हो।

7. यह कि न्यास/ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र समस्त भारतवर्ष होगा।

8. यह कि न्यासीगण को ट्रस्ट फण्ड की आय व उसके किसी भाग को जितने तथा जिस अवधि तक न्यासीगण चाहे जमा रखने तथा संचय की हुई आय को कालान्तर में कभी भी या किसी भी समय ट्रास्ट के उद्देश्यों के लिये व्यय करने का पूर्ण अधिकार होगा।

9. यह कि न्यासीगण ट्रस्ट फण्ड या उसके किसी भाग अथवा भागों को किसी भी समय या अवसर पर जैसे कि ट्रस्टीगण उचित समझे, उपरोक्त उनके कार्यों में से एक या अधिक पर व्यय कर सकते हैं।

जसवन्त सिंह

10. यह कि अध्यक्ष व सचिव का अधिकार ट्रस्ट पर तथा ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर होगा तथा अध्यक्ष व सचिव की मृत्यु के बाद उनकी सन्तानों का अधिकार ट्रस्ट पर तथा ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर होगा। ट्रस्टी सदस्यों को यह अधिकार होगा कि वह अपना उत्तराधिकारी वसीयत के अनुसार निश्चित कर सके। ट्रस्टी सदस्यों के मरणोपरान्त उस वसीयत के अनुसार ही ट्रस्टी उस उत्तराधिकारी को ट्रस्ट में सदस्य बनायेंगे, किसी अन्य व्यक्ति का ट्रस्ट पर, ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर या ट्रस्ट की सदस्यता पर किसी भी प्रकार का अधिकार नही होगा।

11. यह कि प्रत्येक न्यासी/ट्रस्टी द्वारा अपने उत्तराधिकारी का नाम नामांकन कराया जायेगा जो कि उक्त न्यासी/ट्रस्टी की मृत्यु होने पर या अक्षम अथवा अनुपयुक्त होने पर उक्त न्यासी/ट्रस्टी के स्थान पर न्यासी/ट्रस्टी होगा तथा नवनियुक्त ट्रस्टियों को एदतद्वारा नियुक्त ट्रस्टियों के समान ही कार्य करने का अधिकार एवं दायित्व होगा।

12. यह कि व्यवस्थापकों/ट्रस्टी, ने ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु अपने में से अध्यक्ष एवं सचिव नियुक्त कर लिया है तथा अध्यक्ष व सचिव ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने के लिये उपाध्यक्ष व उपसचिव व कोषाध्यक्ष नियुक्त करेंगे। अध्यक्ष व सचिव का कार्यकाल जीवन पर्यन्त (Life Term) होगा। बाकी पदाधिकारियों का कार्यकाल एक वर्ष का होगा। निवर्तमान पदाधिकारियों का पुनः चयन हो सकता है। अध्यक्ष व सचिव उक्त पदाधिकारियों को उनके कार्यकाल से पहले भी उनके पद से हटा सकते हैं।

13. यह कि श्री जसवन्त सिंह उक्त उपरोक्त ट्रस्ट के प्रथम अध्यक्ष व श्री मनोज कुमार उक्त ट्रस्ट के प्रथम सचिव होंगे।

14. यह कि पदाधिकारियों के निम्न कर्त्तव्य व दायित्व होंगे :-

अध्यक्ष :- ट्रस्ट की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, ट्रस्ट की बैठक समय से बुलाने व ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने के लिये सचिव को निर्देश व सहयोग प्रदान करना ट्रस्ट के लिये ट्रस्ट के नाम से कानूनी कार्यवाही करना।

उपाध्यक्ष :- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कार्य करना।

सचिव :- ट्रस्ट की बैठकों में पारित समस्त प्रस्ताव व आदेशों को कार्य रूप में परिणित करना ट्रस्ट के दैनिक कार्यकलाप को सुचारू रूप से संचालित करना। सभी बैठकों को समयनुसार व अध्यक्ष के आदेशानुसार बुलाना तथा सभी बैठकों की कार्यवाही का पूर्ण रूप

जसवन्त सिंह

से विवरण, बैठक कार्यवाही रजिस्टर में लिख अध्यक्ष से सत्यापित कराना। अगली बैठक के बुलाने की सूचना के साथ पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के लिये उसकी नकल सभी ट्रस्टियों को भेजना। ट्रस्ट की समस्त आय व व्यय को सत्यापित कर कोषाध्यक्ष से अनुमोदित कराना। ट्रस्ट की सभी चल व अचल सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण रख उनकी सुरक्षा करना।

उपसचिव :– सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के कार्य करना।

कोषाध्यक्ष :– ट्रस्ट की समस्त आय–व्यय का हिसाब रखना व उसको ऑडिट कराना। ट्रस्ट की समस्त व्यय जो कि सचिव द्वारा सत्यापित हों उनको अनुमोदित कर भुगतान कराना। ट्रस्ट के खातों का संचालन संयुक्त रूप से अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा होगा।

15. यह कि ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्य जैसे– न्यायालय प्रकरण, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित लेन–देन, निर्माण, मान्यता, सम्बद्धता आदि आपसी सहमति से अध्यक्ष व सचिव करेंगे। किसी महत्वपूर्ण निर्णय अथवा आपातकालीन समस्या के लिये आपातकालीन बैठक कर अध्यक्ष द्वारा आहूत की जायेगी एवं सर्वसम्मति से निर्णय होने के उपरान्त अध्यक्ष अपना आदेश प्रदान करेंगे।

16. यह कि ट्रस्टीगण समय–समय पर सामाजिक, धार्मिक व पारमार्थिक कार्यों के प्रबन्ध एवं संचालन हेतु अपने विवेक के अनुसार प्रबन्ध समिति जिसमें वे स्वयं या उनमें से एक या अधिक ट्रस्टी तथा अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा एवं ट्रस्टीगण ऐसी प्रबन्धक समिति तथा उसके कार्यकाल नियम आदि बनाने का तथा ऐसी प्रबन्धक समिति को सम्बन्धित कार्यों, उद्देश्यों के संचालन व पूर्ति के लिये जो अधिकार ट्रस्टीगण उचित समझ से प्रदान करने की शक्ति होगी। साधारणतः ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव व कोषाध्यक्ष ही उक्त समस्त प्रबन्ध समितियों के क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव व कोषाध्यक्ष होंगे।

17. यह कि प्रत्येक ट्रस्टी द्वारा अपने उत्तराधिकारी का नामांकन अपनी पत्नी या बच्चों या कानूनी वारिसों में से किसी एक का अपनी इच्छानुसार करने का अधिकार होगा। यदि किसी कारणवश ट्रस्टी द्वारा अपने उत्तराधिकारी का नामांकन नहीं किया गया तो उक्त ट्रस्टी का सबसे बड़ा पुत्र या उसका कानूनी उत्तराधिकारी उक्त ट्रस्टी के स्थान पर ट्रस्टी होगा तथा नवनियुक्त ट्रस्टी को एतदद्वारा नियुक्त ट्रस्टी के समान ही कार्य करने का अधिकार एवं दायित्व होगा।

जसवन्त सिंह

यास पत्र

फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग
200.00	20	220.00	1,000

10,000.00

न्यास की राशि

श्री /श्रीमती मनोज कुमार

पुत्र / पत्नी श्री धर्म पाल सिंह

पेशा व्यापार

निवासी स्थायी 81-ए, ज्वाला नगर, मेरठ।

अस्थायी पता 81-ए, ज्वाला नगर, मेरठ।

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 6/7/2007 समय 2:41PM

बजे निवन्धन हेतु पेश किया।

सब रजिस्ट्रार प्रथम
उप निबन्धक प्रथम
मेरठ
6/7/2007

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी

श्री/श्रीमती मनोज कुमार
पुत्र/पत्नी श्री धर्म पाल सिंह
पेशा व्यापार
निवासी 81-ए, ज्वाला नगर, मेरठ।

श्री/श्रीमती जसवन्त सिंह
पुत्र/पत्नी श्री धर्म पाल सिंह
पेशा व्यापार
निवासी 307/9, अजन्ता कालोनी, मेरठ

18. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को अन्य ट्रस्टी रखने एवं सदस्य बनाने तथा उनको हटाने का अधिकार होगा। यह कि ट्रस्ट के नाम नियम एवं उद्देश्यों में परिवर्तन करने का अधिकार भी अध्यक्ष व सचिव को होगा किन्तु उसके लिये बोर्ड से प्रस्ताव पारित कराना आवश्यक होगा। नये ट्रस्टी सदस्यों को नियुक्त एवं निष्कासन के लिये बोर्ड की सहमति आवश्यक होगी और उसके लिये बोर्ड से प्रस्ताव पारित कराना जरूरी होगा।

19. यह कि ट्रस्ट की बैठक साल में कम से कम एक बार अवश्य होगी परन्तु किसी भी ट्रस्टी को 7 दिन पूर्व अन्य ट्रस्टीगण को प्रस्तावित बैठक के विषय की सूचना देकर ट्रस्ट की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और ट्रस्ट की बैठक साधारणतः ट्रस्ट कार्यालय में होगी परन्तु ट्रस्टीगण को अन्य स्थान पर जहाँ ट्रस्टीगण उचित समझे बैठक बुलाने का भी अधिकार होगा।

20. यह कि बैठक का कोरम किसी भी समय समस्त ट्रस्टीयों की संख्या का 1/3 अथवा किन्हीं दो ट्रस्टीयों का जो भी अधिक हो, होगा। यदि कोरम के अभाव में सभी स्थगित की जाती है तो स्थगित बैठक की तिथि, समय व स्थान की समस्त ट्रस्टीगणों को डाक द्वारा सूचना प्रेषित करना आवश्यक होगा। स्थगित सभा भी कोरम पूरा किये बिना नहीं हो सकती। ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्यों में अध्यक्ष एवं सचिव की सहमति लेनी अनिवार्य होगी।

21. यह कि उक्त व्यवस्थापकों को ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं से अपने तकनीकी कौशल के अनुसार पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। उक्त व्यवस्थापकों की मृत्यु के बाद इनकी संतान अथवा कानूनी वारिस पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे और यह सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा।

22. यह कि सभी सम्बन्धित ट्रस्टी व्यक्तिगत रूप से केवल ट्रस्ट हेतु प्राप्त की गयी राशि, सम्पत्ति व प्रतिभूतियों के लिये उत्तरदायी होंगे तथा केवल अपने द्वारा किये गये कार्य प्राप्ति, उपेक्षा अथवा चूक के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे परन्तु अन्य ट्रस्टीगण बैंकर, दलाल, एजेन्ट अथवा अन्य व्यक्ति जिनके हाथ में ट्रस्ट की राशि या प्रतिभूतियाँ आदि रखी गयी हैं और उनके द्वारा किये गये कार्य से किसी निवेश का मूल्य घटने अथवा ट्रस्ट को किसी भी प्रकार की हानि होने पर परन्तु व उनके द्वारा जानबूझकर की गयी चूक

Manoj

T/o (Sandip Giri)
S/o Sh. Shiv Kr. Giri
R/o 45, Tubewell Colony,
Saket, Meerut.

जसवन्त सिंह

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री सन्दीप गिरी

पुत्र श्री शिव कुमार गिरी

पेशा व्यापार

निवासी 45, ट्यूब वेल कालोनी, मेरठ।

व श्री मी0 अक्रम खानएड0, मेरठ।

पुत्र श्री एड0, मेरठ।

पेशा व्यापार

निवासी एड0, मेरठ।

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

सब रजिस्ट्रार प्रथम
उप निबन्धक प्रथम
मेरठ
6/7/2007

अथवा व्यक्तिगत कार्य के कारण ना हुआ हो तो ट्रस्टीगण उसके लिये व्यक्तिगत उत्तरदायी नहीं होंगे।

23. यह कि ट्रस्टीगण को ट्रस्ट तथा उसके उद्देश्यों से सम्बन्धित कार्य हेतु किसी भी एजेन्ट जिसमें बैंक भी शामिल है, को नियुक्त करने तथा उसे धनराशि अदा करने का तथा ट्रस्टीगण में निहित शक्तियों का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा।

24. यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट के नाम से चालू खाता, सावधि जमा खाता, सेविंग बैंक खाता ओवर ड्राफ्ट खाता व सभी प्रकार के बैंकिंग खाते किसी भी संस्था जो कि बैंकिंग का व्यवसाय करती हो में खोल और रख सकते हैं परन्तु सभी उक्त बैंकिंग एकाउन्ट्स खातों का संचालन दो पदाधिकारियों के संचालन से होगा जिसमें अध्यक्ष एवं सचिव होंगे।

25. यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट की प्राप्ति व खर्चों का व ट्रस्ट फण्ड एवं सम्पत्तियों का सम्पूर्ण उचित तरीके से बाजाब्ता हिसाब रखेंगे और प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले लेखा/आर्थिक वर्ष का वार्षिक आय व्यय का लेखा व आर्थिक चिट्ठा बनायेंगे जो कि अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और इसका ऑडिट चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।

26. यह कि ट्रस्टीगण को उक्त ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा आवश्यक होने पर अन्य व्यक्तियों, संस्था अथवा किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य के सहयोग से समस्त विधिवत कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा।

27. यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कहीं भी चल व अचल सम्पत्ति किन्हीं भी शर्तों पर जो ट्रस्टीगण निश्चित करेंगे तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत न हो को प्राप्त करने व धारण करने चाहे पूर्ण स्वामित्व में हो या लीज़ पर हो या किराये पर हो या किसी और अन्य तरीके से प्राप्त करने तथा विक्रय करने, किराये पर देने हस्तान्तरण करने या अन्य प्रकार से अधिकार त्यागने का पूर्ण अधिकार होगा परन्तु ट्रस्टीगण को ट्रस्ट के नाम से तथा उद्देश्यों से रिक्त होने का अधिकार नहीं होगा।

28. यह कि ट्रस्ट फण्ड में सम्मिलित किसी राशि, सम्पत्तियों या आस्तियों या उनके किसी भाग को एक साथ अथवा खण्डों में सार्वजनिक नीलाम अथवा प्राईवेट संविदा द्वारा सर्शत अथवा बिना शर्त विक्रय करना, क्रय करना किसी विक्रय अथवा पुनः विक्रय की संविदा में परिवर्तन करने अथवा विखण्डित करने का अधिकार होगा और ट्रस्टीगण उसमें हुई किसी हानि के जिम्मेदार नहीं होंगे।

29. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये समय-समय पर उधार/ऋण लेने का पूर्ण अधिकार होगा। अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट की सम्पत्तियों को बंधक रख कर ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये उधार/ऋण/बैंक गारन्टी लेने का पूर्ण अधिकार

Kr. Mohd. AKRAM KHAN
ADVOCATE
MEERUT.

न्यासी

Registration No 234 Year : 2007 Book No. 4

0101 मनोज कुमार

धर्म पाल सिंह

81-ए, ज्वाला नगर, मेरठ।

व्यापार

0102 जसवन्त सिंह

धर्म पाल सिंह

307/9, अजन्ता कालोनी, मेरठ

व्यापार

होगा तथा ट्रस्ट के लाभ के लिये ट्रस्ट की सम्पत्ति को विक्रय करने का अधिकार भी होगा। इन सभी कार्यों को करने का अधिकार अध्यक्ष व सचिव को होगा।

30. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये ट्रस्ट की सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को किराये पर देने व सभी प्रकार के शेयरों, ऋण पत्रों व अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करने का पूर्ण अधिकार होगा।

31. यह कि एतद्द्वारा संस्थापित किया गया ट्रस्ट अप्रतिसंहरणीय होगा, परन्तु यदि किसी कारणवश से ट्रस्टीगण उक्त ट्रस्ट का संचालन करने में असमर्थ हों तो ट्रस्ट की सभी सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को निस्तारण कर ट्रस्ट की सभी देनदारियों का भुगतान करने के पश्चात् ट्रस्ट का विघटन कर सकते हैं तथा इसके पश्चात् जो भी लाभ या हानि होगी व ट्रस्टीगण द्वारा वहन किया जायेगा।

उपरोक्त के साक्ष्य स्वरूप व्यवस्थापक–ट्रस्टीगण ने अपने हस्ताक्षर किया।
नोट–पेज नं02 की पंक्ति 9 मे रूपये के बाद कटिंग है तथा पंक्ति 10 में है व ट्रस्ट के बीच " व भाविष्य मे " टाईपराईटर से टाईप किया गया है।

जसवन्त सिंह

मुकिर श्री मनोज कुमार के दोनों हाथ की उंगलियों के निशानात

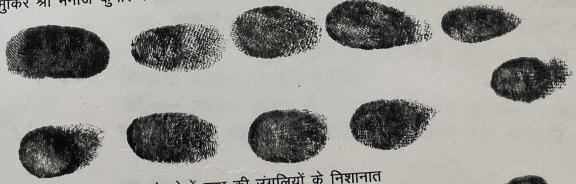

मुकिर श्री जसवन्त सिंह के दोनों हाथ की उंगलियों के निशानात

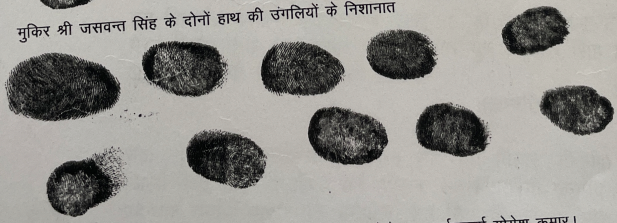

तहरीर तारीख 6.7.2007 मसविदा श्री मौ0 अकरम खां, एडवोकेट व टाईपकर्ता योगेश कुमार।

Akram Khan Advocate

Kr. Mohd. Akram Khan
ADVOCATE
MEERUT

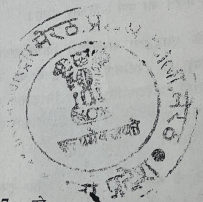

आज दिनांक 06/07/2007 को

वही सं 4 जिल्द सं 330

पृष्ठ सं. 125 से 144 पर कमांक 234

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

सब रजिस्ट्रार प्रथम

उप निबन्धक प्रथम

मेरठ

6/7/2007